# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गढ़ी (राज0)

पीठासीन अधिकारीः अतुल प्रकाश, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्याः 04/2018

**उनवान**

श्रीमती गीतादेवी पत्नि श्री रमेशचन्द्र टेलर जाति टेलर निवासी गढी तहसील गढीं जिला बांसवाडा।

:: वादीया ::

**बनाम**

(1) मनोहरसिंह पिता केसरीसिंह जाति राजपुत निवासी कुमजी का पारडा तहसील गढी जिला बांसवाडा।

(2) रामसिंह पिता केसरीसिंह जाति राजपुत निवासी कुमजी का पारडा तहसील गढी जिला बांसवाडा।

(3) तहसीलदार, तहसील गढी जिला बांसवाडा।

:: प्रतिवादीगण ::

**वाद अन्तर्गत धारा 88, 188, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम**

**निर्णय**

दिनांकः 08.01.2021

वादीया की ओर से प्रस्तुत वाद का संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार हैं कि वादीया के स्वामित्व एवं आधिपत्य की कृषि भुमि आराजी सर्वे नम्बर 126 रकबा 0.07 हेक्टर वाके गांव कुमजी का पारडा तहसील गढी जिला बांसवाडा (राज.) मे स्थित है । जिसका वादीया वर्षो से उपयोग उपभोग करती चली आ रही है। वादिया ने उक्त भुमि प्रतिवादी नम्बर 01 एवं 02 के पिता श्री केसरीसिंह पिता श्री गमीरसिंह जाति राजपुत निवासी कुमजी का पारडा तहसील गढी जिला बांसवाडा से किमतन क्रय कर दिनांक 22/06/2005 को श्रीमान् उप पंजीयक महोदय गढी से अपने नाम पंजीकृत करवाई एवं तभी से उक्त भुमि का वादिया एवं उसके परिवारजन उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है। उक्त विक्रय पंजीयन दस्तावेज पर प्रतिवादी नम्बर 01 मनोहरसिंह ने सहमती स्वरूप गवाह के रूप मे हस्ताक्षर किये है। वादीया पारिवारिक विषय परिस्थितियों के कारण उक्त क्रयशुदा भुमि का अपने नाम से नामान्तरकरण नही करवा सकी जिसका फायदा उठा कर अभियुक्त नम्बर 01 ने आराजी सर्वे नम्बर 126/1 रकबा 0.05 हेक्टर एवं अभियुक्त नम्बर 02 ने आराजी सर्वे नम्बर 126 रकबा 0.02 हेक्टर भुमि को अपने अपने नाम से राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद करवा लिया। जबकि अभियुक्तगण दोनो को भली भाति जानकारी है की उनके पिता स्व. श्री केसरीसिंह ने उनके जीवन काल में ही उक्त भुमि को वादिया को किमतन विक्रय कर दिया था। उक्त भुमि के मुल स्वामी केसरीसिंह पिता गमीरसिंह थे जिन्होने अपने जीवन काल मे भी उक्त वर्णित आराजी की भुमि वादीया को विक्रय कर उसका विक्रय पंजीयन वादीया के पक्ष में निष्पादित कर दिया था। उक्त बैचाननामे के दिन से ही इस भुमी पर पहले वादीया काबिज होकर काश्त करती चली आ रही है और अपनी आजीविका चलाती आ रही है। प्रतिवादीगण नम्बर 01 एवं 02 यह अच्छी तरह जानते थे कि उक्त वर्णित भुमि पर उनका कोई हक अधिकार नही है तथा उक्त भुमि वादीया ने प्रतिवादीगण नम्बर 01 एवं 02 के पिता केसरीसिंह से उसके जीवन काल में क्रय कर ली थी। जिसमें वादिया एवं वादिया के वारिसो के अलावा किसी का कोई हक व अधिकार नही है परन्तु प्रतिवादीगण नम्बर 01 एवं 02 ने फर्जी तरीके से वादीया द्वारा क्रय की गई उक्त भुमि अपने हिस्से दर्ज करवाकर विक्रय करने आमादा है जबकि प्रतिवादीगण को उक्त भु[illegible] के कोई अधिकार नही है, परन्तु इसके बाद भी प्रतिवादीगण ने उक्त भुमि को बैंक में रहन [illegible] ऋण भी प्राप्त कर लिया है। उक्त भुमि की वादीया एकमात्र अधिकारी और स्वामी है [illegible] वादीया घर मे एक मात्र महिला होने और उसके पति के बाहर होने से अपने नाम से ना[illegible]रण दर्ज नही करवा सकी जिसका गलत फायदा उठाकर प्रतिवादीगण ने उक्त भुमि को अपने नाम से अवैद्य तरीके से दर्ज करवाकर विक्रय करने आमादा है । पुर्व में विक्रय की गई भुमि का अन्य बैचान अवैद्य होकर शुन्य है। वादीया एकमात्र स्वामी होकर वादिया को कृषक काश्तकार घोषित करना आवश्यक है। इस हेतु धारा 88 रा.का. अधिनियम के तहत दावा पेश हुआ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Atul Prakash
Date: 2021.03.16 11:47:41 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

वादीया की ओर से प्रस्तुत वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण के नाम सम्मन जारी किये गये। जो बाद तामील प्राप्त होने के उपरान्त लम्बे अन्तराल के बाद प्रतिवादी संख्या 01 व 02 की ओर से श्री गोविन्दसिंह चौहान, अभिभाषक का वकालातनाम पैश होकर पत्रावली प्रतिवादी संख्या 01 व 02 के जवाब हेतु नियत की गई। प्रतिवादी संख्या 01 व 02 को कई अवसर दिये जाने के उपरान्त भी जवाब पेश नही होने पर प्रतिवादी संख्या 01 व 02 का जवाब बन्द किया गया। वादी की साक्ष्य के रूप में श्रीमती गीतादेवी एंव श्री गणपत लबाना के शपथ–पत्र पैश हुऐ। प्रतिवादी अभिभाषक को जिरह हेतु कई अवसर दिये जाने के उपरान्त भी प्रतिवादी संख्या 01 व 02 के अभिभाषक के न्यायालय में उपस्थित नही होने पर वादी के गवाह से प्रतिवादी अभिभाषक की जिरह बन्दी की गई। वादीया की ओर से फर्द दस्तावेज पेश होकर प्रदर्श अंकित करवाये गये। वादी अभिभाषक की बहस सुनी गई।

बहस पर मनन् करने एंव वादीया की ओर से प्रस्तुत वाद, संलग्न जमाबन्दी संवत 2075 से 2078 खाता संख्या 169 (नई) 39 (पुरानी), जमाबन्दी संवत 2075 से 2078 खाता संख्या 196 (नई) 39 (पुरानी), विक्रय–पत्र, की छाया प्रतियों का अवलोकन किया जाने पर पाया गया हैं कि प्रतिवादी संख्या 01 व 02 के पिता स्व0 श्री केसरीसिंह द्वारा अपने जीवनकॉल में ही पटवार हल्का चौपासाग के मौजा कुमजी का पारड़ा की खाता संख्या 34 के सर्वे नम्बर 126 रकबा 0.07 हे0 भूमि का वादीया के पक्ष में जरिये पंजीकृत दस्तावेज विक्रय कर दिया था, उक्त विक्रय–पत्र में इस वाद के प्रतिवादी संख्या 01 गवाह के रूप अंकित है।

अतः वादीया का वाद स्वीकार किया जाकर पटवार हल्का चौपासाग के मौजा कुमजी का पारड़ा तहसील गढ़ी के खाता संख्या 169 (नया) 39 (पुराना) में दर्ज सेर्वे नम्बर 126/1 रकबा 0.05 हे0, एंव खाता संख्या 196 (नया) 39 (पुराना) में दर्ज सर्वे नम्बर 126 रकबा 0.02 हे0 कुल किता दो रकबा 0.07 हे0 भूमि प्रतिवादी संख्या 01 व 02 के खाते से कमी की जाकर वादीया को खातेदार घोषित किया जाकर प्रतिवादी संख्या 01 व 02 को पाबन्द किया जाता हैं कि वे स्वंय अथवा अपने परिचित, रिश्तेदार से ऐसा कोई कृत्य नही करावें जिससे की वादीया को अपनी खातेदारी भूमि में काश्त करने में व्यवधान पैदा हो।

(अतुल प्रकाश)IAS
उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी

**आदेश**

वादीया का वाद स्वीकार किया जाकर पटवार हल्का चौपासाग के मौजा कुमजी का पारड़ा तहसील गढ़ी के खाता संख्या 169 (नया) 39 (पुराना) में दर्ज सेर्वे नम्बर 126/1 रकबा 0.05 हे0, एंव खाता संख्या 196 (नया) 39 (पुराना) में दर्ज सर्वे नम्बर 126 रकबा 0.02 हे0 कुल किता दो रकबा 0.07 हे0 भूमि प्रतिवादी संख्या 01 व 02 के खाते से कमी की जाकर वादीया को खातेदार घोषित किया जाकर प्रतिवादी संख्या 01 व 02 को पाबन्द किया जाता हैं कि वे स्वंय अथवा अपने परिचित, रिश्तेदार से ऐसा कोई कृत्य नही करावें जिससे की वादीया को अपनी खातेदारी भूमि में काश्त करने में व्यवधान पैदा हो। इस [illegible] आशय की डिकी पृथक से जारी की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 08.0[illegible].2021 को जारी किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी

Signature Not Verified
Digitally signed by Atul Prakash
Date: 2021.03.16 11:47:41 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

# डिक्री व मुकदमे की इब्तजाई

(आ. 20 नियम 17 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत : उपखण्ड अधिकारी, मुकाम : गढ़ी व इजलास : अतुल प्रकाश (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या: 04/2018

**उनवान**

श्रीमती गीतादेवी पत्नि श्री रमेशचन्द्र टेलर जाति टेलर निवासी गढी तहसील गढी जिला बांसवाडा।

:: वादीया ::

**बनाम**

(1) मनोहरसिंह पिता केसरीसिंह जाति राजपुत निवासी कुमजी का पारडा तहसील गढी जिला बांसवाडा।

(2) रामसिंह पिता केसरीसिंह जाति राजपुत निवासी कुमजी का पारडा तहसील गढी जिला बांसवाडा।

(3) तहसीलदार, तहसील गढी जिला बांसवाडा।

:: प्रतिवादीगण ::

**वाद अन्तर्गत धारा 88, 188, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम**

**निर्णय**

दिनांक: 08.01.2021

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू वादी अभिभाषक पेश होकर हुक्म दिया जाता हैं कि वादीया का वाद स्वीकार किया जाकर पटवार हल्का चौपासाग के मौजा कुमजी का पारड़ा तहसील गढ़ी के खाता संख्या 169 (नया) 39 (पुराना) में दर्ज सेर्व नम्बर 126/1 रकबा 0.05 हे0, एंव खाता संख्या 196 (नया) 39 (पुराना) में दर्ज सर्वे नम्बर 126 रकबा 0.02 हे0 कुल किता दो रकबा 0.07 हे0 भूमि प्रतिवादी संख्या 01 व 02 के खाते से कमी की जाकर वादीया को खातेदार घोषित किया जाकर प्रतिवादी संख्या 01 व 02 को पाबन्द किया जाता हैं कि वे स्वंय अथवा अपने परिचित, रिश्तेदार से ऐसा कोई कृत्य नही करावें जिससे की वादीया को अपनी खातेदारी भूमि में काश्त करने में व्यवधान पैदा हो, ईस आशय की डिकी जारी की जाती है।

नोज शून्य मुबलिग शून्य बाबत् शून्य खर्चा इस मुकदमें के मय सुद व शरह शून्य प्रतिशत सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक शून्य का अदा करे।

बसब्त मेरे हस्ताक्षर एवं मोहर अदालत के आज दिनांक 08.01.2021 को जारी की गई।

((अतुल प्रकाश)IAS
उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी

| मुदई | रूपया पैसा | मुद्दवायलह | रूपया पैसा |
|---|---|---|---|
| स्टाप की अरजी दावा | शून्य | स्टाम्प वकालतनामा | शून्य |
| स्टाम्प वकालतनामा | शून्य | स्टाम्प अरजी | शून्य |
| स्टाम्प वहज सबुत | शून्य | मेहनतनामा वकील | शून्य |
| मेहनतनामा वकील | शून्य | खर्चा गवाहान | शून्य |
| खर्चा गवाहान | शून्य | फीस कमिश्नर | शून्य |
| फीस कमिश्नर | शून्य | बाबत इजराय हुक्मनामा | शून्य |
| बाबत इजराय हुक्मनामा | शून्य | मुतफरीक | शून्य |
| मुतफरीक | शून्य | कुल | शून्य |
| कुल | शून्य | | |

Signature Not Verified
Digitally signed by Atul Prakash
Date: 2021.03.16 11:47:41 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी

Scanned by CamScanner